

पटना में दिनांक-21 जनवरी, 2014 मंगलवार को अपराह्न 03:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

शिक्षा विभाग

1. "बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) संशोधन नियमावली 2014" एवं "बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) संशोधन नियमावली 2014" की स्वीकृति।

1. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

2. जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में अनुबंध पर नियोजित सेवानिवृत्त 225 माध्यमिक शिक्षकों के चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के नियत वेतन एवं बकाया वेतन भुगतान हेतु ₹ 1,94,74,642/- (एक करोड़ चौरानवे लाख चौहत्तर हजार छः सौ बयालीस) रुपये मात्र की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

2. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

3. वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य के मान्यता प्राप्त 33 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डायट), 27 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, 6 अध्यापक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में प्रति संस्थान एक पुस्तकालयाध्यक्ष मासिक परिलब्धि ₹ 11,000.00 की दर से कुल 66 पुस्तकालयाध्यक्ष हेतु ₹ 87.12 लाख (सत्तासी लाख बारह हजार) रुपये की राज्य योजना मद से योजना की स्वीकृति एवं शेष बचे दो माह के लिए ₹ 14.52 (चौदह लाख बावन हजार) रुपये की व्यय की स्वीकृति।

3. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

4. दिनांक-09.12.2013 को सम्पन्न प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में राजकीय विद्यालयों के प्राचार्य के 68 पद एवं उप प्राचार्य के 136 पदों को उत्क्रमित करने तथा वरीय प्राध्यापक के 253 पद, वरीय व्याख्याता के 199 पद, एवं वरीय व्याख्याता के 97 पदों के सृजन (ये पद सेवानिवृत्ति के पश्चात् स्वतः समाप्त होते जायेंगे) के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन के संबंध में।

4. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

5. वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, की धारा 5 के उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार के द्वारा विभिन्न धाराओं के अधीन अपने कर्तव्यों एवं शक्तियों का प्रत्यायोजन।

5. स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

6. नाबार्ड फेज-8 के अन्तर्गत निर्मित एवं डीजल चालित 1574 अदद राजकीय नलकूपों के उर्जान्वयन कार्य हेतु कुल रू० 9223.57129 लाख (बेरानबे करोड़ तेईस लाख सतावन हजार एक सौ उनतीस रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

6. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

7. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन हकदार खाद्यान्नों या भोजन के वितरण संबंधी विषयों में व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी निवारण के लिए जिले में जिला शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त/पदाभिहित करने तथा शिकायतों की सुनवाई एवं इसके निवारण की प्रक्रिया निर्धारण करने के संबंध में।

7. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

9. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं०-1232/2000 दुर्गावती जलाशय परियोजना विस्थापित संघ बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक-03.03.2006 को पारित आदेश के आलोक में दुर्गावती जलाशय परियोजना से शत-प्रतिशत विस्थापित परिवारों के एक व्यक्ति को पुनर्वास समन्वय समिति के अनुशंसा के मद्देनजर में समूह-"घ" के रिक्त पदों के विरुद्ध नियोजन तथा दैनिक नामावली पर कार्यरत कर्मियों के नियमितिकरण के संबंध में।

9. स्वीकृत।

गृह विभाग

10. बिहार प्रदेश की मूल निवासी नाबालिग लड़की के पिता-श्री रामाशंकर झा उर्फ रामू झा को सभी नियमों एवं प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए विशेष परिस्थिति में एकाकी निर्णय के अंतर्गत बिहार पुलिस बल में चालक सिपाही के पद पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर ड्राइविंग टेस्ट के बाद नियुक्ति के संबंध में।
10. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

11. "बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2014" एवं "बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2014" की स्वीकृति।
11. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

12. खरीफ विपणन मौसम 2013-14 में धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को ₹ 250/-रूपये प्रति क्वींटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति एवं इस हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से ₹ 250,00,00,000/- (दो सौ पचास करोड़) रूपये मात्र अग्रिम की स्वीकृति।
12. स्वीकृत।